राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18912/2024

मेसर्स गैलेक्सी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 301, गंगा हाइट्स, बापू नगर, टोंक रोड, जयपुर (राजस्थान) में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, श्री संदीप, पुत्र श्री रामावतार, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी नाइयों की ढाणी, सिरसी, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार,शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, खनिज भवन, शास्त्री सर्कल, उदयपुर, राजस्थान।
3. खनन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, अलवर (राजस्थान)

----उत्तरदाता

<u>जुड़े हुए</u>

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18913/2024

मेसर्स देवदशरत एसोसिएट्स, जिसका पंजीकृत कार्यालय 303, आशापूर्णा टॉवर, पावटा, ए रोड, जोधपुर (राजस्थान) में है, अपने साझेदार, श्री कुलदीप प्रताप सिंह भाटी पुत्र श्री महेंद्र सिंह भाटी, उम्र लगभग 37 वर्ष, के माध्यम से, जिसका कार्यालय 303, आशापुरा टॉवर, पावटा, ए रोड, जोधपुर में है।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, खनिज भवन, शास्त्री स्मारक, यूके, राजस्थान।
3. खनन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, भरतपुर (राजस्थान)

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) की ओर से : श्री अनुराग शर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरदाता (ओं) की ओर से :

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झींगन

आदेश

<u>आरक्षित तिथि</u> :: :: :: <u>12/12/2024</u>

(29/05/2025 को दोपहर 12:45:01 बजे डाउनलोड किया गया)

घोषित तिथि :: :: :: 18/12/2024

1. इन दोनों रिट याचिकाओं पर इस आदेश द्वारा निर्णय लिया जाता है क्योंकि इनमें शामिल मुद्दा एक ही है। सुविधा के लिए, तथ्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18912/2024 से लिए गए हैं।

2. इसमें मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ('एन.सी.आर.') में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (संक्षेप में 'जी.आर.ए.पी.') के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, बीस दिनों के लिए खनन गतिविधि बंद होने के कारण अनुबंध राशि के हिस्से की छूट और अनुबंध अवधि के विस्तार का हकदार है।

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को तहसील अलवर और रामगढ़, जिला अलवर में उत्खनित खनिज चिनाई पत्थर के लिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट और राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के लिए अतिरिक्त रॉयल्टी, राशि के संग्रह के लिए एक अनुबंध दिया गया था। अनुबंध 05.08.2024 से 31.03.2026 की अवधि के लिए है। याचिकाकर्ता को 44,00,71,000/- रुपये की वार्षिक राशि का भुगतान करना था। एनसीआर में 15.11.2024 से 05.12.2024 तक जी.आर.ए.पी. के चरण- III की संशोधित अनुसूची लागू की गई थी और खनन गतिविधियाँ बंद थीं। खान और भूविज्ञान विभाग, अलवर के खनि अभियंता ने पत्र दिनांक 12.11.2024 के तहत याचिकाकर्ता को पंद्रह दिनों के भीतर अनुबंध राशि की मासिक किस्त जमा करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 22.11.2024 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि जी.आर.ए.पी.-III के कार्यान्वयन के कारण मासिक किस्त में छूट दी जाए तथा जी.आर.ए.पी.-III के लागू होने से प्रभावित समतुल्य अवधि के लिए अनुबंध अवधि बढ़ाई जाए।

4. राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 (इसके बाद 'नियम 2017' कहा जाएगा) के नियम 44 (16) और (17) के आधार पर, याचिकाकर्ता का अनुरोध दिनांक 04.12.2024 के पत्र द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। रिट याचिका संख्या 18913/2024 में याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन अभी भी लंबित है। अतः वर्तमान रिट याचिका।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जी.आर.ए.पी.-III के कार्यान्वयन के कारण, एनसीआर में खनन गतिविधियाँ बंद होने के कारण रॉयल्टी की कोई वसूली नहीं हुई। तर्क यह है कि 2017 के नियमों के नियम 36 के अंतिम प्रावधान के अनुसार, मासिक अनुबंध राशि की वसूली से छूट दी जानी चाहिए थी और पट्टे की अवधि को जी.आर.ए.पी.-III के कार्यान्वयन की अवधि के बराबर बढ़ाया जाना चाहिए था। दलील यह

(29/05/2025 को दोपहर 12:45:01 बजे डाउनलोड किया गया)

है कि 2017 के नियमों का नियम 44 (16) खनन गतिविधियों के पूर्ण बंद होने से संबंधित नहीं है और यह मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

6. नियम 2017 के नियम 36 (5), नियम 44 (16) और (17) को पुनः उद्धृत करना प्रासंगिक होगा:-

> **"नियम 36. रॉयल्टी संग्रहण संविदा या अतिरिक्त रॉयल्टी संग्रहण संविदा प्रदान करना:-**
> **(1) to (4)** XX XX XXxx xx xx
> (5) रॉयल्टी संग्रहण अनुबंध या अतिरिक्त रॉयल्टी संग्रहण अनुबंध सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च को समाप्त होने वाले अधिकतम दो वित्तीय वर्षों या उसके भाग की अवधि के लिए प्रदान किया जा सकेगा:
>
> बशर्ते कि जहां नया अनुबंध आवंटित नहीं किया जा सका हो, वहां निदेशक द्वारा लिखित में कारण दर्ज करते हुए विद्यमान अनुबंध की अवधि को नब्बे दिन तक या नए अनुबंध के लागू होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकेगा तथा संबंधित खनन अभियंता या सहायक खनन अभियंता द्वारा मूल अनुबंध की समाप्ति से पहले राइडर करार निष्पादित किया जाएगा।
>
> बशर्ते कि जहां ऐसा करना आवश्यक हो, वहां सरकार द्वारा अनुबंध की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकेगा और अनुबंध की समाप्ति से पूर्व राइडर करार निष्पादित किया जाएगा।
> बशर्ते कि अवधि इस शर्त के अधीन बढ़ाई जाएगी कि ठेकेदार मौजूदा वार्षिक अनुबंध राशि में दस प्रतिशत की बढ़ी हुई राशि का भुगतान करेगा। विस्तारित अवधि के लिए सुरक्षा जमा और निष्पादन सुरक्षा राशि वही रहेगी जो ठेकेदार द्वारा मूल अनुबंध अवधि के दौरान जमा की गई थी और अगले अनुबंध के लागू होने तक अनुबंध की देय राशि या किश्तों में वापस या समायोजित नहीं की जाएगी।
>
> बशर्ते कि किसी महामारी या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, सरकार द्वारा मौजूदा अनुबंध की अवधि को एक वर्ष तक के लिए इस शर्त के अधीन बढ़ाया जा सकेगा कि ठेकेदार बढ़ी हुई राशि का दस प्रतिशत मौजूदा अनुबंध राशि में जमा करेगा और विस्तार आदेश प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर या मूल अनुबंध अवधि की समाप्ति से पहले, जो भी पहले हो, एक राइडर अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। ऐसे मामलों में, अनुबंध राशि में वृद्धि के अनुपात में सुरक्षा जमा और निष्पादन सुरक्षा की अंतर राशि राइडर अनुबंध के निष्पादन से पहले जमा की जाएगी। इस संबंध में, राज्य सरकार अलग से दिशानिर्देश जारी कर सकती है।

(29/05/2025 को दोपहर 12:45:01 बजे डाउनलोड किया गया)

नियम 44:- रॉयल्टी संग्रहण अनुबंध और अतिरिक्त रॉयल्टी संग्रहण अनुबंध की शर्तें:-

(1) to (15) xx xx xx

(16) पट्टे या लाइसेंस को रद्द करना या समर्पित करना, नए पट्टे या लाइसेंस को मंजूरी देना, मौजूदा पट्टे के डेडरेंट में संशोधन करना, सरकार या न्यायालय द्वारा या संबंधित क्षेत्र में किसी अन्य कारण से पट्टे या लाइसेंस को अस्थायी या स्थायी रूप से बंद करना, वार्षिक अनुबंध राशि पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

(17) ठेकेदार को नियत तिथि पर ठेका राशि की किस्त का अग्रिम भुगतान करना होगा और यदि कोई राशि नियत तिथि पर भुगतान नहीं की जाती है, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और ठेका रद्द करने या जुर्माना लगाने के लिए कोई अन्य कार्रवाई किए जाने के बावजूद, नियत तिथि से अठारह प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाएगा।

xxxx xx

7. नियम 36 रॉयल्टी अनुबंध या अतिरिक्त रॉयल्टी संग्रहण अनुबंध प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। उप-नियम (5) में प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी 31 मार्च को समाप्त होने वाले अधिकतम दो वित्तीय वर्षों या उसके किसी भाग की अवधि के लिए अनुबंध प्रदान करेगा।

7.1 नए अनुबंध का आवंटन न होने की स्थिति में, नियम 36 के उप-नियम (5) का पहला प्रावधान निदेशक को वर्तमान अनुबंध को नब्बे दिन तक या नए अनुबंध के लागू होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का अधिकार देता है। विस्तार के लिए कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे। अवधि बढ़ाने के लिए राइडर अनुबंध मूल अनुबंध की समाप्ति से पहले निष्पादित किया जाना चाहिए।

7.2 यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो सरकार दूसरे प्रावधान के तहत अनुबंध की अवधि को आगे बढ़ा सकती है, बशर्ते अनुबंध की समाप्ति से पहले राइडर समझौते को निष्पादित किया जाए।

7.3 परंतुक तीन के अनुसार, विस्तार वार्षिक अनुबंध की मौजूदा राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त, मूल अनुबंध के लिए जमा की गई सुरक्षा जमा और निष्पादन सुरक्षा, विस्तारित अवधि के लिए पर्याप्त होगी, लेकिन अगली अनुबंध अवधि लागू होने तक प्रतिभूतियों को वापस नहीं किया जाएगा या किश्तों में समायोजित

(29/05/2025 को दोपहर 12:45:01 बजे डाउनलोड किया गया)

नहीं किया जाएगा।

7.4 चौथा प्रावधान 03.01.2022 से प्रभावी रूप से जोड़ा गया। महामारी या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, सरकार मौजूदा अनुबंध की अवधि बढ़ा सकती है, बशर्ते:- (i) मौजूदा अनुबंध राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि; (ii) विस्तार आदेश प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर या मौजूदा अनुबंध की समाप्ति से पहले, जो भी पहले हो, राइडर अनुबंध का निष्पादन; और (iii) राइडर अनुबंध के निष्पादन से पहले अनुबंध की वृद्धि के अनुपात में सुरक्षा और निष्पादन सुरक्षा की राशि जमा करनी होगी। राज्य सरकार इस संबंध में अलग से दिशानिर्देश जारी कर सकती है।

8. नियम 44 रॉयल्टी संग्रहण अनुबंध और अतिरिक्त रॉयल्टी संग्रहण अनुबंध के लिए शर्तें निर्धारित करता है।

8.1 उप-नियम 16 के अनुसार, संबंधित क्षेत्र में सरकार या न्यायालय द्वारा या किसी अन्य कारण से पट्टे या लाइसेंस के अस्थायी या स्थायी रूप से बंद होने से वार्षिक अनुबंध राशि प्रभावित नहीं होगी। पट्टे या लाइसेंस का निरस्तीकरण और समर्पण, नए पट्टे या लाइसेंस की स्वीकृति, मौजूदा पट्टे के अनिवार्य किराये में संशोधन से भी वार्षिक अनुबंध राशि प्रभावित नहीं होगी।

9. ऐसा नहीं है कि वैधानिक प्रावधानों या पक्षों के बीच सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार, खनन गतिविधि के अस्थायी रूप से बंद होने की स्थिति में समय बढ़ाने और अनुबंध राशि के एक हिस्से की छूट देने का कोई प्रावधान था। यह प्रावधान केवल 2017 के नियमों के नियम 36 के उप-नियम (5) के चौथे प्रावधान पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, नियम 36(5) के चौथे प्रावधान के अंतर्गत न आने वाले मामलों में अनुबंध अवधि का विस्तार नहीं किया जा सकता।

10. यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि 2017 के नियमों का नियम 36(5) अनुबंध राशि के किसी भाग की छूट से संबंधित नहीं है। 2017 के नियमों के नियम 36(5) का पहला परंतुक निदेशक द्वारा समय विस्तार के लिए केवल उन्हीं मामलों में लागू होता है जहाँ नया अनुबंध आवंटित नहीं किया जा सका हो। चौथे परंतुक के तहत सरकार द्वारा समय विस्तार महामारी या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किया जा सकता है, जो कि वर्तमान मामले में स्थिति नहीं है। जी.आर.ए.पी. -III को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में व्याप्त

(29/05/2025 को दोपहर 12:45:01 बजे डाउनलोड किया गया)

प्रदूषण को देखते हुए लागू किया गया था।

11. अनुबंध अवधि बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत 2017 के नियमों के नियम 36(5) के दायरे में नहीं आती है। समझौते में किसी वैधानिक प्रावधान या खंड के अभाव में, अनुबंध के नियमों और शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता है।

12. यह तर्क कि 2017 के नियमों के नियम 44 (16) पर प्रतिवादियों ने गलत तरीके से अभ्यावेदन को खारिज करने के लिए भरोसा किया है, खारिज किए जाने योग्य है। उप नियम (5) की भाषा स्पष्ट है और व्यापक रूप से शब्दबद्ध है कि वार्षिक अनुबंध राशि रद्द करने, आत्मसमर्पण करने, पट्टे या लाइसेंस को मंजूरी देने, नए पट्टे को मंजूरी देने, मौजूदा पट्टे के डेड रेंट को संशोधित करने और सरकार, अदालत या किसी अन्य कारण से संबंधित क्षेत्र में पट्टे या लाइसेंस को अस्थायी या स्थायी रूप से बंद करने से प्रभावित नहीं होगी। सरकार या न्यायालय द्वारा बंद करने के अलावा दायरे को व्यापक बनाने के लिए नियम 44 के उप नियम 16 में 'किसी अन्य कारण' वाक्यांश का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा अस्थायी रूप से बंद किया गया था जो 'किसी अन्य कारण' के अंतर्गत आता है।

13. एक अन्य पहलू यह है कि याचिकाकर्ता को यह तर्क देने के लिए स्वयं ही खड़ा होना होगा कि समझौते में कोई ऐसा खंड या वैधानिक प्रावधान मौजूद था जिसके तहत खनन गतिविधि को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए अनुबंध राशि के एक हिस्से की छूट मांगी जा सकती है। दलीलों या बहस के दौरान ऐसे किसी खंड या वैधानिक प्रावधान का सहारा नहीं लिया गया है।

14. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

(अवनीश झिंगन), जे

एच.एस/135-136

रिपोर्ट योग्य हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

(29/05/2025 को दोपहर 12:45:01 बजे डाउनलोड किया गया)

Tarun Mehra

Advocate

(29/05/2025 को दोपहर 12:45:01 बजे डाउनलोड किया गया)